न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं अपीलीय भरण–पोषण न्यायाधिकरण अजमेर
अपील संख्या 19/2016

1- श्री गोविन्द राम कुमावत पुत्र स्व0 श्री विजयलाल जी कुमावत निवासी हनुमान राठी के मकान के पास, शिवाजी नगर मदनगंज किशनगढ जिला–अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री गोविन्द राम जाति कुमावत निवासी हनुमान राठी के मकान के पास, शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ जिला– अजमेर।
2. श्रीमती सीमा पत्नी श्री अशोक कुमार जाति कुमावत निवासी हनुमान राठी के मकान के पास, शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ जिला–अजमेर।
3. नितेश पुत्र श्री अशोक कुमार जाति कुमावत निवासी हनुमान राठी के मकान के पास शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ जिला–अजमेर।
4. कल्पना पुत्री श्री अशोक कुमार जाति कुमावत निवासी हनुमान राठी के मकान के पास शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ जिला–अजमेर।
5. अन्नपूर्णा पुत्री श्री अशोक कुमार जाति कुमावत निवासी हनुमान राठी के मकान के पास शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ जिला–अजमेर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावको और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 अपील विरूद्ध आक्षेपित आदेश दिनांक 19.01..2016 अधिनस्थ पीठासीन अधिकारी एवं भरण पोषण न्यायाधिकरण किशनगढ

आदेश दिनांक :– 24.08.2016

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी 70 वर्षीय वृद्व वरिष्ठ नागरिक, रिटायर्ड फौजी है, पत्नि की उम्र 68 वर्ष है जो कि मधुमेह रोग, ब्लड प्रेशर, घुटनों की तकलीफ व पैरालाईसिस से पीडित है। अपीलान्ट के एक पुत्र व दो पुत्रियॉ है, जिनकी मेरे द्वारा शादी कर दी गई है, जो अपने परिवार के साथ रह रही है। प्रार्थी द्वारा वार्ड नं0 9 शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ में 200 वर्ग गज का प्लाट क्रय कर उस पर दो मंजिला मकान बनाकर उसकी सतह मंजिल पर एक कमरा व एक रसोई, पुत्र रेस्पो0 सं0 1 श्री अशोक कुमार को रहने हेतु बतौर अनुमति दे रखा है। अन्य परिसर में दो किरायेदार रख रखे है। शेष परिसर में प्रार्थी व उसकी पत्नि रहते है। रेस्पोडेन्टस उसके पुत्र, पुत्रवधु, पोत्र,पोत्रियॉ है। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलान्ट एवं उसकी पत्नि के साथ अभ्रद व्यवहार, मारपीट, गाली गलौच कर उनको घर से निकालने एवं किरायेदारों को बेदखल करने की धमकियॉ देते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कारीगरी एवं मकान ठेकेदारी कर 25000/–रूपये मासिक अर्जित करता है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ अधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट को जरिये पुलिस इमदाद उससे एवं उसकी पत्नि से लडाई झगडा, मारपीट, गाली गलौच नहीं करने एवं किरायेदारों एवं उनको बेदखल नहीं करनें तथा भरण पोषण बतौर 6000/– रूपये मासिक रेस्पोडेन्टस से दिलवाये जाने तथा अपीलान्ट के स्वअर्जित मकान/परिसर से बेदखल किये

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

जाने के आदेश हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 19.01.2016 से रेस्पोडेन्टस द्वारा अपीलान्ट को 2500/– रूपयें प्रति माह दिलाये जाने के साथ–साथ मकान को पिता–पुत्र में विवाद का कारण मानते हुए अपीलान्ट/प्रार्थी एवं उसकी पत्नि को उक्त मकान को किसी अन्य को बेचान/अन्तरण/रहन नहीं करने हेतु पाबन्द किये जाने का आदेश पारित किया गया। अधिनस्थ अधिकरण द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश जिस हद तक अपीलार्थी के विरूद्ध पारित किया गया है, को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी की मूल याचिका सव्यय स्वीकार किये जाने के अनुतोष के अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स स्वयं उपस्थित आये जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम/अपील प्रस्तुत किया गया। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

रेस्पोडेन्ट्स ने अपीलान्ट की अपील मयाद बाहर होने तथा प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के कथन झूठे होना बताते हुये अपील को मयाद बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया। जवाब में अपीलान्ट ने अनुरोध किया कि अपीलान्ट वयोवृद्ध होकर अनेक व्याधियों से पीडित है। अपीलान्ट की ऑख का आपरेशन करवाये जाने से अपील प्रस्तुति में देरी हुई है। परिस्थितियों वश प्रस्तुति में हुई देरी को न्यायहित में कन्डोन किया जावे तथा प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम स्वीकार कर अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णित फरमाई जावे। अपीलान्ट के मयाद बिन्दु बाबत् कथनो पर मनन किया न्यायहित में प्रा0 पत्र धारा 5 मयाद अधि0 स्वीकार कर अपील मयाद में शुमार करते हुऐ गुणावगुण के आधार पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया। उभय पक्ष की बहस अपील सुनी गई।

अपीलार्थी ने अपील कथनो को दौहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि अपीलार्थी 70 वर्षीय वृद्व वरिष्ठ नागरिक एवं रिटायर्ड फौजी है। अपीलार्थी की पत्नि की उम्र 68 वर्ष है जो कि मधुमेह रोग, ब्लड प्रेशर, घुटनों की तकलीफ व पैरालाईसिस से पीडित है। अपीलान्ट के एक पुत्र व दो पुत्रियॉ है, जिनकी मेरे द्वारा शादी कर दी गई है, पुत्रियॉ अपने परिवार के साथ रह रही है। अपीलान्ट द्वारा वार्ड नं0 9 शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ में 200 वर्ग गज का प्लाट क्रय कर उस पर दो मंजिला मकान बनाकर उसकी सतह मंजिल पर एक कमरा व एक रसोई पुत्र रेस्पो0 सं0 1 श्री अशोक कुमार को बतौर अनुमति रहने हेतु दे रखा है। अन्य परिसर में दो किरायेदार रख रखे है। शेष परिसर में प्रार्थी व उसकी पत्नि रहते है। रेस्पोडेन्टस उसके पुत्र, पुत्रवधु, पोत्र, पोत्रियॉ है। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलान्ट एवं उसकी पत्नि के साथ अभ्रद व्यवहार, मारपीट, गाली गलौच कर उनको घर से निकालने एवं किरायेदारों को बेदखल करने की धमकियॉ देते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कारीगरी एवं मकान ठेकेदारी कर 25000/–रूपये मासिक अर्जित करता है। रेस्पोडेन्ट को जरिये पुलिस इमदाद अपीलान्ट एवं उसकी पत्नि से लडाई झगडा, मारपीट, गाली गलौच नहीं करने, किरायेदारों एवं उनको बेदखल नहीं करनें तथा भरण पोषण बतौर 6000/– रूपये मासिक रेस्पोडेन्टस से दिलवाये जाने के आदेश हेतु प्रार्थना पत्र वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

तहत प्रस्तुत किया था। अधिनस्थ अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 19.01.2016 से अपीलान्ट को 2500/– रूपयें प्रति माह दिलाये जाने के साथ–साथ मकान, को पिता–पुत्र में विवाद का कारण मानते हुए अपीलान्ट/प्रार्थी एवं उसकी पत्नि को उक्त मकान को किसी अन्य को बेचान/अन्तरण/रहन नहीं करने हेतु पाबन्द किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों, विधिक प्रावधानों व न्याय के नेसर्गिक सिद्धान्तो के विपरीत होकर क्षैत्राधिकार से परे है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर उक्त आक्षेपित आदेश जिस हद तक अपीलार्थी के विरूद्ध पारित किया गया है, को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी की मूल याचिका स्वीकार की जावे। अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के मध्यनजर उचित समझे दिलवाया जावें।

जवाब में रेस्पोडेन्टस ने अपील कथनो को सिरे से नकारते हुए कथन किया कि अपीलान्ट सेवानिवृत फौजी है जिसे मासिक पेंशन 8332/–व अन्य देय राजकीय लाभ प्राप्त होते है। अपीलार्थी के बैंक आफ बडौदा खाते में 18.02.2015 तक 47700/– जमा थें। पंजाब नैशनल बैंक शाखा किशनगढ में भी अपीलान्ट का खाता है। अपीलार्थी के पास मकान के किरायेदारों से कुल 10000/– रूपये प्रति माह प्राप्त होता है। अपीलान्ट की पत्नि को भी 500/– रूपये वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त होती है, तथा मकान बनाने का सामान चाली, बल्लियॉ, तिपाया आदि किराये पर दिये जाने से आय लगभग 4000–5000/– प्रति माह होती है। अपीलार्थी येन केन प्रकारेण रेस्पोडेन्ट्स को उक्त मकान से बेदखल करना चाहता है, जबकि उक्त मकान रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 के भी आर्थिक एवं शारिरीक सहयोग से बना है। रेस्पोडेन्टस का भी इसमें हक हिस्सा अधिकार निहित है, फिर भी रेस्पोडेन्ट्स के पास एक कमरा व एक रसोई ही है। मकान में पर्याप्त कमरे होते हुए भी अपीलान्ट की हठधर्मी के कारण रेस्पोडेन्ट्स (6 व्यक्ति) पिछले कई वर्षो से एक कमरे में निवास करनें पर मजबूर है। अपीलार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या एक का पिता एवं 2 का ससुर तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 एवं तुषार का दादा है। अपीलान्ट अपने पौत्र एवं पोत्रियों को रात में लाईट जलाकर पढने नहीं देता है देर रात तक पढते है तो उनसे गाली गलौच व लडाई झगडा करता है, इस कारण परीक्षा के समय यह पोत्र–पोत्रिया अन्यंत्र मकान किराये पर लेकर अध्ययन करते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 खुली मजदूरी करता वह भी कभी मिलती है कभी नहीं, जैसे तैसे वह अपने परिवार का गुजारा चलाता है। अपीलान्ट के पास पर्याप्त आय होने के बावजूद वह रेस्पोडेन्ट की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने पर भी नाजायज परेशान करने के उद्वेश्य से भरण पोषण की मांग की है, तो पोत्र, पोत्रियॉ भी अपने दादा से भरण पोषण, शिक्षा–दीक्षा प्राप्त करने के अधिकारी है। अपीलान्ट की भी नैतिक जिम्मदारी एवं कर्तव्य बनता है कि वह अपने पोत्र पोत्रियों के भरण पोषण, शिक्षा–दीक्षा में सहयोग करें। अपीलान्ट एवं उसकी पत्नी, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के साथ अच्छे व्यवहार के साथ शान्ति से रहने के लिए तैयार होते है तो रेस्पो0 अपने माता–पिता, सास–ससुर की सेवा एवं देखभाल, सार संभाल व खान पान की उचित व्यवस्था करने को तैयार है एवं तत्पर है। अपीलान्ट, भूमाफियाओं एवं अपनी पुत्रियों के बहकावे में है, जो मकान को बिकवाकर प्राप्त राशि को हडपना चाहते है। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए भरण पोषण अधिनियम की आड में रेस्पोडेन्टस को मकान से बेदखल कर उसे विक्रय करने के उद्वेश्य से झूठा प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जो इस न्यायालय में स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपीलान्ट द्वारा मान0 न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस को हैरान परेशान करने एवं

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

न्यायालय का किमती समय खराब करने योग्य बेबुनियाद झूठी एवं विधि विरूद्ध अनुतोष के प्रस्तुत अपील सव्यय खारिज फरमाई जावें। उपरोक्त परिस्थितियों के मध्यनजर अधिनस्थ अधिकरण द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 19.01.2016 को 2500/—रूपये मासिक अपीलान्ट/प्रार्थी को अदा करने की हद तक निरस्त फरमाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करते हुए अपील विरूद्ध अपीलान्ट इसी स्तर पर निरस्त फरमाये जाने के आदेश न्यायहित में पारित फरमावें।

हमने उपस्थित उभय पक्ष को सुना, अपील तथ्यों एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट पेंशन प्राप्त सेवानिवृत फौजी है। रेस्पोडेन्टस, अपीलान्ट के पुत्र—पुत्रवधु, पौत्र, पौत्रिया है। अपीलान्ट का किशनगढ के शिवाजी नगर वार्ड नं0 09 (पुराना) में खरीद शुदा प्लाट 200 गज पर दो मंजिला भवन निर्मित है जिसमे सतह की मंजिल के एक कमरा व रसोई में रेस्पोडेन्ट सं0 1 परिवार सहित रहता है। शेष परिसर में अपीलान्ट व उसकी पत्नि तथा किरायेदार रहते है। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट को मकान से बेदखल करने एवं अधिनस्थ अधिकरण के आदेश दिनांक 19.01.16 को विरूद्ध अपीलार्थी की हद तक निरस्त फरमाने का अनुरोध किया है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा हमारे समक्ष व्यक्त कथनों, तथ्यों एवं उनकी पारिवारिक परिस्थतियों पर समस्त दृष्टिकोण से विवेचन उपरान्त अधिनस्थ अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.1.2016 न्यायोचित प्रतीत होता है। इसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। उभय पक्ष, अधिनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश की पालना सुनिश्चित करें। रेस्पोडेन्ट्स अपने वृद्व माता—पिता, सास—ससुर, दादा—दादी से जाने अनजाने हुई गलती के लिए तहेदिल से क्षमा याचना कर उनके अहम का सम्मान/नजरअन्दाज करते हुए उनके प्रति अपना नैतिक दायित्व निभाते हुए उनको अपने साथ रखकर उनकी उचित देखभाल करते हुए उनके शान्ति पूर्ण जीवन यापन में सहयोग करें। अपीलान्ट भी अपने अहम को त्यागते हुए अपने पुत्र—पुत्रवधु, पौत्र—पौत्रियों से नादानी में हुई गल्तियों को सहृदय से क्षमा करते हुए, बीती बातें बिसारते हुए अपना शेष जीवन अपने सम्पूर्ण परिवार के साथ शालिनता से शान्तिपूर्वक व्यतित करें। दोनो पक्ष अपने समस्त गिले शिकवे भूलाते हुए आपस में किसी प्रकार से लडाई—झगडा वाद विवाद, आदि नहीं कर उपरोक्तानुसार शान्ति से रहेगें, इस आशय की लिखित अण्डर टेंकिग न्यायालय भरण पोषण न्यायाधिकरण किशनगढ (अजमेर) के समक्ष आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में प्रस्तुत करें। उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ एवं सम्बन्धित थानाधिकारी, पुलिस थाना, मदनगंज किशनगढ उभय पक्ष को आदेश की पालना कठोरता से करने हेतु पाबन्द करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.8.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गौरव गोयल)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण
अजमेर

Scanned by CamScanner